प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1932 / 2011

याचिकाकर्ता : **रवि कुमार डोंगरे ।**

बनाम

उत्तरवादीगण : **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ।**

निर्णय एवं आदेश दिनांक- 16 अगस्त 2011 को उद्घोषणा हेतु सुचिबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1932 / 2011

याचिकाकर्ता : रवि कुमार डोंगरे ।

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

उपस्थित :- याचिकाकर्ता की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता।

न्यायमित्र के रूप में : श्री पी. के. भादुड़ी, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(पारित दिनांक - 16/8/2011)

1. **याचिकाकर्ता उत्तरवादी संख्या 3 को निर्देश देने की मांग करता है कि वह याचिकाकर्ता का जाति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी/5) जारी करे/वापस करे, जो सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी, उत्तर बस्तर, कांकेर (संक्षेप में 'एसडीओ') द्वारा विधिवत जारी किया गया था।**

2. **इस मामले के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं कि, याचिकाकर्ता के अनुसार, वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है अर्थात 'महार'। याचिकाकर्ता को कांकेर जिले के तहसीलदार द्वारा मामला संख्या 253/बी-121/2001-2002 (अनुलग्नक पी/4) में अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया गया था। राजस्व प्रकरण संख्या 441/बी 121/2002-2003 (अनुलग्नक पी/5) में सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत महार जाति समुदाय से संबंधित है। कांकेर के कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर कि याचिकाकर्ता महार जाति से संबंधित नहीं है, याचिकाकर्ता को रेलवे विभाग से बर्खास्त कर दिया गया, जहाँ वह रायपुर स्थित वैगन मरम्मत कार्यशाला में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। बर्खास्तगी को चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है। याचिकाकर्ता को कांकेर जिले के भानुप्रतापुर स्थित अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें उसे 4 जुलाई 2009 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और 1950 से पहले के भूमि अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। एक दूसरा नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को 8 अगस्त 2009 को जाति प्रमाण पत्र के साथ पुनर्विलोकन प्रकरण संख्या 441/बी-121/2002-09 में उपस्थित होने के लिए कहा गया था (अनुलग्नक पी/7)। याचिकाकर्ता अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ एसडीओ के समक्ष उपस्थित हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया और उसके बाद, अनुविभागीय अधिकारी ने उसकी वैधता पर विचार करने के लिए उसे अपने पास रख लिया। दिनांक-15.07.2010 को (अनुलग्नक पृष्ठ 8), याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को वापस**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने का अनुरोध किया, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए, उपरोक्त निर्देश की मांग करते हुए यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. **याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर ने यह तर्क दिया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद, अनुविभागीय अधिकारी बाद में किसी भी कानूनी प्रावधान के तहत इसकी समीक्षा नहीं कर सकता; इसका सत्यापन उच्च जाति जांच समिति (संक्षेप में 'एचपीसी') द्वारा किया जा सकता है। एचपीसी ही संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिए सक्षम है। अतः, भानुप्रतापुर के अनुविभागीय अधिकारी की कार्रवाई अनुचित और मनमानी है। श्री ठाकुर आगे यह भी निवेदन किया कि इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *कु. माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास एवं अन्य'* [1] तथा जनजातीय कल्याण निदेशक, *आंध्र प्रदेश सरकार बनाम लावेती गिरि एवं अन्य'* [2] तथा इस उच्च न्यायालय द्वारा *दिनेश कुमार भगोरिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य'* [3] के मामलों में निर्धारित किया जा चुका है।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. **मामले की महत्ता को देखते हुए, श्री पी.के. भादुरी, विद्वान अधिवक्ता से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया।**

5. **श्री भादुरी, न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होकर, ने एक लिखित निवेदन प्रस्तुत किया है**

---

[1] **1. (1994)6 एससीसी 241**

[2] **2. (1995)4 एससीसी 32**

[3] **3. डब्लू.पी.(एस) संख्या 3338/2007,**

जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 33 के प्रावधानों के तहत, राजस्व अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति को वे आवश्यक समझते हैं, या तो पक्षकार के रूप में जांच के लिए, या गवाह

के रूप में साक्ष्य देने के लिए, या राजस्व मामले में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुला सकते हैं। संहिता की धारा 41 राजस्व मंडल को मंडल की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियम बनाने और अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुमत प्रक्रिया को निर्धारित करने का अधिकार देती है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यद्यपि संहिता की धारा 51 के तहत आदेश की पुनर्विलोकन का प्रावधान है, जो स्वतः संज्ञान के आधार पर भी किया जा सकता है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की sपुनर्विलोकन नहीं की जा सकती। इस प्रकार, जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में संहिता की धारा 51 के तहत शक्ति उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. राज्य/उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण साव ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त के मद्देनजर, अनुविभागीय अधिकारी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि माधुरी पाटिल'1 और लावेती गिरि'2 में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल एचपीसी ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए सक्षम है।

7. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वार तर्की पर विचार किया गया द्वारा प्रस्तुत दलीलों और उनसे जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन किया।

8. अनुविभागीय अधिकारी को माधुरी पाटिल'1 और लावेती गिरि'2 के न्यायिक निर्णयों द्वारा सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। सामाजिक

स्थिति प्रमाण पत्र जारी करना 'आदेश' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भूमि राजस्व संहिता के प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होते हैं जहां राजस्व अधिकारी, अपनी अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करते हैं। इसके विपरीत, संहिता अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन का प्रावधान करती है और इस प्रकार, ये प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र) प्रदान करना किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति की मान्यता है, विशेष रूप से उसकी जाति के संबंध में। सक्षम प्राधिकारी को उसकी जाति के तथ्यों पर विचार करने और जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद उसका पुनर्विलोकन करने का नहीं।

9. लावेती गिरि'2 और कई अन्य मामलों में माधुरी पाटिल'1 का अनुमोदन के साथ हवाला दिया गया है और इस प्रकार, उसमें निर्धारित कानून अभी भी लागू है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर या उपायुक्त को किया जाएगा और प्रमाण पत्र तालुका या मंडल स्तर के अधिकारी के बजाय ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद, यह भी निर्धारित किया गया कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए जांच समिति द्वारा आवेदन शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने से कम से कम छह महीने पहले दाखिल किया जाएगा। निर्णय के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद 4 में जांच समिति के गठन का प्राjवधान है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुसूचित जाति के मामले में, कोई भी अधिकारी जिसे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन और जारी करने की गहन जानकारी हो, उसे जांच समिति में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कानून के इस सिद्धांत को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने लावेती गिरि2 मामले में दोहराया है, और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने दिनेश कुमार भगोरिया'3 मामले में और अन्य न्यायिक निर्णयों में भी यही बात कही है।

10. *सुधाकर विट्ठल कुम्भारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य'* [4]के मामले में, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र पर राज्य सरकार द्वारा संदेह व्यक्त किया गया था और उसी आधार पर याचिकाकर्ता को जांच समिति के पास भेजे बिना ही वापस भेज दिया गया था, यह माना गया कि अपीलकर्ता के मामले से निपटने का यह सही तरीका नहीं था, और निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

"6. वास्तव में, ऐसी स्थिति में नियोक्ता को जांच समिति के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसे स्वीकार्य रूप से मामले पर विचार करने के लिए गठित और स्थापित किया गया था। हमें ध्यान देना चाहिए कि कुमारी माधुरी पाटिल मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 254, कंडिका 13)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. गलत तरीके से प्राप्त प्रवेश या गलत तरीके से प्राप्त नियुक्ति, झूठे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर अनिवार्य रूप से वास्तविक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी उम्मीदवारों को संविधान में दिए गए लाभों से वंचित करती है। वास्तविक उम्मीदवारों को सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के अभाव में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन आम तौर पर माता-पिता द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उस तारीख को कई बार छात्र नाबालिग हो सकता है। यह माता-पिता या अभिभावक ही होते हैं जो फर्जी स्थिति प्रमाण पत्र का दावा करके धोखाधड़ी कर सकते हैं।

इसी तरह की टिप्पणियाँ निदेशक ,जनजातीय कल्याण बनाम लावेती गिरि के मामले में भी की गई हैं। इस मामले के इस पहलू पर इस न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी

[4] (2004)9 SCC 481

पाटिल (द्वितीय) बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास (एससीसी पृष्ठ 438, कंडिका 3 और 5) और पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी (जेटी पृष्ठ 574-75): (एससीसी पृष्ठ 221-222, कंडिका 40) के मामलों में की गई टिप्पणियों के बाद ध्यान दिया गया है।

"3. प्रार्थना (ख) के संबंध में, इस न्यायालय के आदेश के निर्देश (iv) के साथ पढ़े जाने पर, हम भी राज्य के विशाल क्षेत्र के कारण होने वाली असुविधा को समझते हैं। इसलिए, निर्णय लेने के लिए तीन अधिकारियों की एक समिति के बजाय, तीन अनुसूचित जनजाति/जाति जांच समितियां होंगी जिनमें पांच सदस्य होंगे, जिनमें तीन सदस्यों की कोरम होगी, जैसा कि निर्देशों के कंडिका 4 में सुझाया गया है, निर्णय लेने के लिए। पुणे, नासिक और नागपुर में, अनुसूचित जनजातियों, गैर-अधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए छह जाति जांच समितियां, जो मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर में मौजूद हैं, संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की जांच करना जारी रखेंगी और इस संबंध में निर्णय लेंगी। इस संबंध में, आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ढोलकिया ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है यदि प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा इसे गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है, तो उपर्युक्त समितियाँ भी इस प्रश्न पर विचार करेंगी और इस संबंध में निर्णय लेंगी कि क्या अस्वीकृति गलत थी, और यदि समिति पाती है कि अस्वीकृति गलत थी, तो वे प्राधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने के लिए स्वतंत्र हैं।

"5. प्रार्थना (घ) के संबंध में, सतर्कता प्रकोष्ठ के साथ, एक शोध अधिकारी/जनजातीय विकास या सामाजिक कल्याण अधिकारी अधिकारियों की पात्रता की सामाजिक स्थिति का पता लगाने में संलग्न होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार ने पत्र संख्या 13/2/74/ ईएसटी (एससीटी) दिनांक- 05.08.1975 के माध्यम से निम्नलिखित अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है:

"1. जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी-कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी नगर स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/ उप-खंड मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

3. तहसीलदार से कम रैंक का राजस्व अधिकारी।

4. उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

5. प्रशासक/ प्रशासकों के सचिव/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह)"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कानून घोषित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल'1 और लावेती गिरि'2 तथा कई अन्य मामलों में दिए गए न्यायिक निर्णय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून बन चुके हैं। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत किसी भी प्रावधान को अनदेखा किया जा सकता है। वैधानिक प्रावधानों के तहत अधिकारियों के परिपत्र और निर्देश, सामान्य परिस्थितियों में, अधिकारियों पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन जब सर्वोच्च

न्यायालय या उच्च न्यायालय उनसे उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून अधिकारियों पर बाध्यकारी होगा, न कि परिपत्र और निर्देश। कार्यपालिका, संबंधित मुद्दे के निपटारे पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णय के अलावा कोई भिन्न रुख नहीं अपना सकती। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी है और सरकार या उसके अधिकारी स्वयं को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं दे सकते, जैसा कि इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करके और सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् पूर्ववर्ती अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को जब्त करके किया है।

13. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या बी.सी./12025/2/76/एससीटी-1 दिनांक 22.03.1977 में मामलों के सत्यापन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं और इसमें कहा गया है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले राजस्व अधिकारियों को विस्तृत सत्यापन करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मध्य प्रदेश राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ1/जीएडी//आरक्षण कक्ष, दिनांक 01.08.1996 के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी (आर) या कोई भी निर्धारित अधिकारी विविध राजस्व मामले (बी 121) के अंतर्गत जाति का पंजीकरण करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि निर्धारित अधिकारी स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से मामले का सत्यापन करवाएगा और दावों की सत्यता से संतुष्ट होने के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी करेगा या उसे अस्वीकार करेगा।

15. भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों में यह स्पष्ट है कि प्रमाणपत्र आदेश नहीं है और यह विहित प्राधिकारी का प्रशासनिक कार्य है।

16. *दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस और अन्य*[5] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति मुखर्जी ने निम्नलिखित अभीनिर्धारित किया :

"134. मेरा मानना है कि हमें इस 'बचकाना कल्पना' को समाप्त करना होगा कि कानून न्यायपालिका द्वारा नहीं बनाया जाता है। ऑस्टिन ने अपने न्यायशास्त्र (पृष्ठ 65, चौथा संस्करण) में ब्लैकस्टोन के कानून की खोज के सिद्धांत को 'बचकाना कल्पना' बताया है। आर. सुब्बा राव, मुख्य न्यायाधीश ने आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में इन टिप्पणियों का उल्लेख किया है। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय को कानून घोषित करने का दायित्व दिया गया है। 'घोषित' शब्द 'स्थापित या निर्मित'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शब्दों से व्यापक है। घोषित करना राय की घोषणा करना है। वास्तव में, बाद वाला प्रक्रिया को दर्शाता है, जबकि पूर्व वाला परिणाम को व्यक्त करता है। व्याख्या, निर्धारण और विकास प्रक्रिया के भाग हैं, जबकि व्याख्या, निर्धारण या विकास को कानून घोषित किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश का कानून है। इस न्यायालय को इस शक्ति से वंचित करना किसी पुराने सिद्धांत के आधार पर अनुचित है कि न्यायालय केवल कानून खोजना, उसे बनाना नहीं, न्याय के उस शक्तिशाली साधन को अप्रभावी बनाना है जो इस देश की सर्वोच्च

न्यायपालिका के हाथों में सौंपा गया है। के. सुब्बा राव, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियाँ देखें, जो आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (एससीआर पृष्ठ 813-14) मामले में दी

[5] 1991 Supp (1) SCC 600

गई थीं। इसलिए, मैं कानून क्या है, यह घोषित करने में न्यायालयों की अधिक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की वकालत करता हूँ।

17. *एम. रामाकोताइया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[6] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-

> **"30. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि "वरिष्ठता सूची सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए और कोई भी स्पष्टीकरण, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत हो, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के मद्देनजर अनदेखा किया जाना चाहिए।" उच्च न्यायालय की राय थी कि न्यायाधिकरण की टिप्पणियाँ, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत हैं, उन्हें अनदेखा किया जाए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वरिष्ठता सूची तैयार करते समय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए। इस पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय को अनदेखा नहीं किया है। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को अनदेखा करने की त्रुटि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसने अपना निर्णय सुनाने से पहले निर्णय पर पर्याप्त विचार किया है।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सर्वोच्च न्यायालय ने *पालिताना शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम विलासिनीबेन रामचंद्रन और अन्य'*[7] के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-

---

[6] (2007)14SCC405

[7] (2007) 15 SCC 218

"15. उक्त पत्राचार का अवलोकन करने से, हमारी राय में, यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादीगण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने उपरोक्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय के निर्णय को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। यह पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय के निर्णय सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं और सरकार इस न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार अपने आप को नहीं दे सकती।"

19. *सोम मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार'* [8]मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"12. जब यह न्यायालय निर्णय देता है, तो वह ऐसा अत्यंत सावधानी और उत्तरदायित्व के साथ करता है। इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। भारत के सभी प्राधिकारियों को इसकी सहायता के लिए कार्य करना आवश्यक है। इस न्यायालय द्वारा किसी कानून या निर्णय की कोई भी व्याख्या, इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। अधिकार जितना व्यापक होगा, यह सुनिश्चित करने की उत्तरदायित्व उतनी ही अधिक होगी कि कुछ भी कहा या निर्देशित न किया जाए जो मामले के लिए आवश्यकता या सुसंगता से अधिक हो , और यह सुनिश्चित करना की न्यायलय के आदेश और निर्णय किसी भी प्राधिकारी या नागरिक के मन में किसी क़ानूनी स्थिति के सम्बन्ध में कोई संदेह या भ्रम पैदा न करें , और यह भी सुनिश्चित करना कि वे किसी अन्य निर्णय या मौजूदा कानून के साथ विरोधाभास न करें। चाहे जो भी हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[8] (2008) 3 SCC 574

20. इसके अलावा, *कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बोलपुर बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज'* [9] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-

"7. बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र और निर्देश निस्संदेह संबंधित कानूनों के तहत अधिकारियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विचारणीय प्रश्न पर कानून की घोषणा करता है, तो अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह निर्देश दे कि परिपत्र को लागू किया जाए न कि इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को। जहां तक केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण/ परिपत्रों का संबंध है, वे केवल वैधानिक प्रावधानों के बारे में उनकी समझ को दर्शाते हैं। वे अदालत पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह अदालत का काम है कि वह घोषित करे कि कानून का विशेष प्रावधान क्या कहता है, कार्यपालिका का नहीं। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो, जो परिपत्र वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, उसका वास्तव में कानून में कोई अस्तित्व नहीं है।

8. परिपत्र से संतुष्ट होने का अर्थ होगा कि चुनौती देने का बहुमूल्य अधिकार उससे छीन लिया जाएगा और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय की कोई

गुंजाइश नहीं रहेगी। यह इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की गरिमा की अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी प्रभाव के बिल्कुल विपरीत होगा।

21. इस मामले में, यदि जाति प्रमाण पत्र की वैधता में कोई त्रुटि भी हो, तो भी अनुविभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को वापस लेने की

[9] (2008) 13 SCC 1

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मामले को सत्यापन के लिए एचपीसी को भेजा जाना चाहिए था।

22. अनुविभागीय अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे की पुनर्विलोकन करके और उसके बाद उसे लंबे समय तक अपने पास रखकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसलिए, जाति प्रमाण पत्र के पुनर्विलोकन के लिए राजस्व कार्यवाही शुरू करना कानून की दृष्टि से गलत, अन्यायपूर्ण और रद्द (अभिखंडित) किए जाने योग्य है। और तदानुसार इसे रद्द (अभिखंडित) किया जाता है।

23. तदानुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

24. न्यायालय श्री भादुरी द्वारा न्यायालय की सहायता करने के लिए आभार व्यक्त करता है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह श्री भादुरी को पेशेवर शुल्क के रूप में 5000 रुपये का भुगतान करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

-

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA ADV.